विज्ञप्ति

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 तथा संशोधन अधिनियम– 2020 की धारा 10 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल मे से हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से 05 वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतम 70 वर्ष), जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशिष्ट न्यूनतम चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रकिया में प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा चिकित्सा विज्ञान के प्रतिष्ठित संगठन में समकक्ष स्थिति में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को सर्च कमेटी के सम्मुख विचारार्थ नामित किए जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामित व्यक्ति का आवेदन (निर्धारित प्रारुप पर) विस्तृत जीवनवृत्त सहित तीन प्रतियों में, सदस्य सचिव, सर्च–कम–सलेक्शन कमेटी द्वारा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष संख्या– 305, तृतीय तल, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम भवन, 4–सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून–248001 को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक माह के भीतर प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित प्रारूप एवं अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर देखें।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 10-02-2025 17:45:43

(डॉ0 आर राजेश कुमार), आई0ए0एस0
सचिव।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।
ई–मेल secretaryhealthuk@gmail.com

Advertisement

APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR FOR H.N.B.UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY, DEHRADUN.

It is proposed to appoint Vice-Chancellor for the H.N.B. Uttarkhand Medical Education University, Dehradun, established under the Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University Act 2014 as amended Act 2020.

As per the Section 10 of the aforementioned Acts, the Vice-Chancellor has to be a person with the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She should be a distinguished academician with a minimum of ten years of experience as Professor in a Medical College or Medical University System or Ten years experience in an equivalent position in a reputed organization of Medical Sciences. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date of appointment or till the age of 70 years, whichever is earlier; subject to the provisions of the Act.

Academicians of repute, desirous of applying or nominating other qualified persons for consideration by the Search-Cum-Selection Committee, may send their application/ nominations(in prescribed format), along with detailed bio-data in triplicate to The Secretary, Medical Health & Medical Education Department, Government of Uttarakhand, Room No-305, 3rd Floor, Dr. APJ Abdul Kalam Bhawan, 4- Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun-248001 within a month of publication of this Advertisement.

For prescribed format and further details, please visit the university website- www.hnbumu.ac.in.

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 10-02-2025 17:45:05

(Dr. R. Rajesh Kumar), I.A.S.
Secretary,
Dept. of Medical Health & Medical Education,
Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
email:- secretaryhealthuk@gmail.com